न्यायालय तहसीलदार बेगूँ जिला चित्तौडगढ (राजस्थान)

पीठासीन अधिकारी श्री धर्मेन्द्र स्वामी

प्रकरण संख्या 02/2024

प्रार्थी :-श्री लाभचन्द पिता नन्दा धाकड निवासी डोराई तहसील बेगूँ

प्रार्थनापत्र अन्तर्गत धारा 135(2) राज.भू.राजस्व अधिनियम

निर्णय दिनांक 19.06.2024

प्रकरण इस प्रकार है कि प्रार्थी श्री लाभचन्द पिता नन्दा धाकड निवासी डोराई तहसील बेगूँ का प्रार्थना पत्र दिनांक 27.06.2024 को इस आशय का प्राप्त हुआ कि मुझ प्रार्थी के काका स्व.श्री बरदा पिता ताराचन्द धाकड निवासी डोराई तह.बेगूँ का स्वर्गवास दिनांक 11.10.2013 को हो चुका है। बरदा जी अविवाहित थे एंव इनके कोई भी जाईन्दा पुत्र पुत्री नही है। बरदा की सेवा चाकरी मुझ प्रार्थी लाभचन्द ने की है जिस से खुश होकर के बरदा ने एक अपंजीकृत वसीयतनामा मुझ प्रार्थी के पक्ष मे करा दिया था तथा जिस से बरदा का विरासत का नामान्तरण मुझ प्रार्थी के पक्ष मे खोला जावे।

प्रकरण दिनांक 02.02.2024 को भू.रा.अधि. 1956 की धारा-135(2) के तहत दर्ज किया जाकर प्रार्थना पत्र की जाँच पटवार हल्का डोराई व भू अभिलेख निरिक्षक डोराई से करवाई गई । ।पटवार हल्का व भू अभिलेख निरिक्षक द्वारा दिनांक 07.03.2024 को इस संबंध मे जाँच कर मौका पर्चा व रिपोर्ट तैयार कर प्रस्तुत की । रिपोर्ट अनुसार बरदा कुँवारा फोत हुआ है। बरदा ने अपने जीवनकाल मे अपने भाई उदा के पोत्र लाभचन्द पिता नन्दा धाकड को सेवा सुश्रूषा हेतु अपने पास रख लिया था। बरदा ने लाभचन्द के पक्ष मे दिनांक 04.09.2006 को अपंजीकृत वसीयत की थी। वर्तमान मे बरदा की समस्त कृषि भूमि पर लाभचन्द का कब्जा काश्त है।

प्रकरण से संबंधित पक्षकारान व गवाहान को जरिये नोटिस तलब किया गया।संबंधित पक्षकारान व गवाहान द्वारा साक्ष्य हेतु शपथपत्र प्रस्तुत किये गये।गवाहान अनुसार दिनांक 04.09.2006 को की गई वसीयत पर उनके हस्ताक्षर होकर वसीयत उनके समक्ष की गई थी।बरदा द्वारा अपनी समस्त चल अंचल सम्पति की वसीयत लाभचन्द के पक्ष मे की गई थी। अन्य संबंधित पक्षकारान अनुसार भी बरदा द्वारा लाभचन्द के पक्ष मे वसीयत की गई थी। बरदा अविवाहित था। बरदा ने लाभचन्द की सेवा चाकरी की थी बरदा लाभचन्द के पास रहता था।बरदा की समस्त कृषि भूमि पर वर्तमान मे लाभचन्द काबिज़ होकर उपयोग उपभोग कर रहा है।

तहसीलदार (भू.अ.)
बेगूँ, जिला–चित्तौडगढ

वसीयतग्रहीता लाभचन्द पिता नन्दा धाकड नि.डोराई द्वारा भी बरदा पिता ताराचन्द द्वारा उसके पक्ष मे वसीयत किया जाना व बरदा का दिनांक 11.10.2013 को स्वर्गवास होना जाहिर किया। बरदा अविवाहित होकर बरदा की समस्त चल अचल सम्पति पर काबिज होने से संबंध मे शपथ पत्र प्रस्तुत किया

उक्त वसीयत के संबंध मे आपत्तियो के आमंत्रण हेतु दिनांक 15.05.2024 को आम सूचना प्रकाशित करवा आपत्तिया आमंत्रित की गई। निर्धारित अवधि व्यतीत हो जाने उपरान्त भी किसी प्रकार का उज्र/एतराज न्यायालय हाजा के समक्ष किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रस्तुत नही किया गया

प्रस्तुत प्रार्थनापत्र ,पटवार हल्का डोराई ,भू अभिलेख निरिक्षक डोराई की रिपोर्ट तथा पर्चा मौका संबंधित पक्षकारो व गवाहो के साक्ष्य हेतु प्रस्तुत शपथपत्र व दस्तावेजो के आधार पर मैं इस नतीजे पर पहुँचा हुं कि श्री बरदा पिता ताराचन्द धाकड निवासी डोराई की दिनांक 11.10.2013 को मृत्यु हो चुकी है। बरदा अविवाहित होकर बरदा द्वारा अपने भतिजे लाभचन्द पिता नन्दा धाकड निवासी डोराई के पक्ष मे दिनांक 04.09.2006 को अपंजीकृत वसीयत की थी।

अत: अपंजीकृत वसीयत अनुसार श्री बरदा पिता धाकड निवासी डोराई के नाम ग्राम डोराई,मेघपुरा मे दर्ज कृषी भूमि का नामान्तरण बरदा के बजाय श्री लाभचन्द पिता नन्दा धाकड निवासी डोराई के नाम दर्ज किये जाने आदेश दिये जाते है

निर्णय खुले न्यायालय मे सुनाया गया पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एंव दाखिल दफ्तर हो निर्णय की प्रति पटवार हल्का डोराई,मेघपुरा को पालनार्थ भेजी जावे।

तहसीलदार(भू.अ.)
बेगूँ जिला बेगूँ